श्री शांता कुमार: सभापति जी, जहां तक इंस्टालमेंट का सवाल है, इस प्रोजेक्ट में जितनी इंस्टालमेंट राज्यों को हमसे लेनी चाहिए थीं, राज्य नहीं ले रहे हैं। स्थिति यह है कि कुल मिलाकर 2283 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किए गए हैं। और उसमें से इस समय तक हमसे राज्यों को 1017 करोड़ रुपया क्लेम करना चाहिए था। हम देने को तैयार बैठे हैं लेकिन हमसे लिया केवल 773 करोड़ है क्योंकि पिछली किश्त खर्च करने की शर्त पूरी नही हो रही है। हम देना चाहते हैं लेकिन लेने की शर्तें पूरी न करने के कारण राज्य पूरा नहीं ले पा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ऐसा ही प्रश्न आप अपनी सरकार से पूछें कि भारत सरकार पैसा देना चाहती है, आप ले क्यों नहीं रहे?

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, an amount of Rs. 20 lakhs is being spent on every watershed project. The programme is spread over a period of four years. I would like to ask the hon. Minister whether the time span of four years is sufficient, and whether the amount will be enhanced as one watershed project covers only 500 hectares. This amount is very meagre and the time span is very high. I would like to ask the hon. Minister whether the Government is thinking in terms of minimising the time-span and enhancing the money. Apart from this, there is another district called Mehboob Nagar in regard to which a similar proposal has been sent to the Government of India. Kindly consider the request of the Government of Andhra Pradesh. Sir, I would like the Minister to answer specifically.

श्री शांता कुमार: सभापति महोदय, इस समय पांच वर्षों में प्रोजैक्ट पूरा होता है, सात किश्तें हम देते हैं और सरकार का यह विचार है कि पांच वर्षों में प्रोजैक्ट पूरा हो जाना चाहिए। बहुत से प्रोजैक्ट पांच वर्षों के अंदर कम्प्लीट हो रहे हैं।

सूरतगढ़ सुपर ताप बिजलीघर से निकलने वाली राख

*307. **श्री मोतीलाल वोरा:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूरतगढ़ सुपर ताप बिजलीघर से प्रतिदिन कितनी राख निकलती है। और वहां अब तक कितनी राख इकट्ठी हो गई है;

(ख) किन-किन अन्य ताप बिजलीघरों से भारी मात्रा में राख निकल रही है;

(ग) क्या सरकार ने इस राख के उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अनुसार राजस्थान में सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत स्टेशन से निकलने वाली उड़न राख की मात्रा प्रतिदिन 4100 मिट्रिक टन है। अक्टूबर, 2002 तक इस विद्युत स्टेशन पर संचित उड़न राख की मात्रा 28.366 लाख मि॰ टन थी।

(ख) दूसरे ताप विद्युत स्टेशनों, जो वृहत मात्रा में उड़न राख निस्सरित करते हैं, के नाम विवरण-I में दिये गये हैं (नीचे देखिए)।

(ग) से (ङ.) एक फ्लाई ऐश मिशन की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी ताकि देश में उड़न राख के उपयोग के संभावित तरीकों के बारे में इसके उपयोगकर्ता एजेंसियों में विश्वास पैदा करके देश में उड़न राख के समुपयोजन को बढ़ावा दिया जा सके। यह मिशन देश में उड़न राख के समुपयोजन को बढ़ाने के लिए एक लाभदायक प्रेरक भूमिका अदा करता रहा है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने उड़न राख के समुपयोजन के बारे में 14-9-1999 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार अन्य बातों के के साथ-साथ सभी नये विद्युत संयंत्रों के लिए 9 वर्षों के भीतर उड़न राख का 100% समुपयोजन तथा सभी विद्यमान विद्युत संयंत्रों के लिए 15 वर्षों के भीतर उड़न राख का 100% समुपयोजन किया जाना अपेक्षित है। अधिसूचना में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उड़न राख के समुपयोजन/निपटान हेतु कार्य योजना तैयार करने का आदेश निहित है।

वर्तमान में 19 मिलि टन उड़न राख, जो कि देश में उत्पन्न उड़न राख का 22% है, का उपयोग किया जा रहा है। यह वर्ष 1995-96 में कुल उड़न राख के 6.61% अर्थात 2.739 मिलि टन होकर बढ़ता चला आया है।

विवरण-I

उड़न राख का निस्ससरण करने वाले ताप विद्युत स्टेशनों की सूची

क्रम संख्या	राज्य/यूटिलिटी	टीपीएस का नाम
	आंध्र प्रदेश	
1.	आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन कंपनी (एपीजेनको)	कोठागुडम
2.	-वही-	कोठागुडम-5

क्रम संख्या	राज्य/यूटिलिटी	टीपीएस का नाम
3.	-वही-	नैल्लोर
4.	-वही-	रामागुण्डम बी
5.	-वही-	रायलसीमा
6.	-वही-	विजयवाड़ा
7.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि॰ (एनटीपीसी)	रामागुण्डम
	असम	
8.	असम राज्य बिजली बोर्ड	बोंगईगांव
	बिहार	
9.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	बरौनी
10.	-वही-	मुजफ्फरपुर
11.	तेनुघाट विद्युत निगम लि॰	तेनुघाट
12.	एनटीपीसी	कहलगाँव
	छत्तीसगढ़	
13.	छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड	कोरबा ईस्ट
14.	-वही-	कोरबा वेस्ट
15.	एनटीपीसी	बाल्को
16.	-वही-	कोरबा
	दिल्ली	
17.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	इन्द्रप्रस्थ
18.	-वही-	राजघाट
19.	एनटीपीसी	बदरपुर
	गुजरात	
20.	अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी	साबरमती
21.	गुजरात बिजली बोर्ड	वनाकबोरी
22.	-वही-	गांधीनगर
23.	-वही-	कच्छ
24.	-वही-	सिक्का
25.	-वही-	उकई
26.	गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कारपोरेशन लि॰ (जीआईपीसीएल)	सुरत लिग्नाइट
	हरियाणा	
27.	हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि॰	फरीदाबाद
28.	-वही-	पानीपत

क्रम संख्या	राज्य/यूटिलिटी	टीपीएस का नाम
	झारखण्ड	
29.	दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी)	बोकारो "ए"
30.	-वही-	बोकारो "बी"
31.	-वही-	चन्द्रपुरा
32.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी)	पतरातु
33.	ट्राम्बे पावर कंपनी	जोजोबेरा
	कर्नाटक	
34.	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि॰ (केपीसीएल)	रायचूर
	मध्य प्रदेश	
35.	एनटीपीसी	विन्ध्याचल
36.	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एमपीएसईबी)	सतपुड़ा
37	-वही-	अमरकंटक
38.	-वही-	संजय गांधी
	महाराष्ट्र	
39.	बॉम्बे सब-अर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लि॰ (बीएसईएस)	दहाणु
40.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एमएसईबी)	भुसावल
41.	-वही-	चन्द्रपुर
42.	-वही-	खापरखेड़ा
43.	-वही-	कोराडी
44.	-वही-	नासिक
45.	-वही-	पारस
46.	-वही-	परली
47.	ट्रॉम्बे पावर कंपनी	ट्राम्बे
	उड़ीसा	
48.	उड़ीसा पावर जेनरेशन कंपनी लि॰	इब
49.	एनटीपीसी	तलचेर कनिहा
50.	-वही-	तलचेर थर्मल
	पंजाब	
51.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड (पीएसईबी)	भटिण्डा
52.	-वही-	लेहरा मुहब्बत

क्रम संख्या	राज्य/यूटिलिटी	टीपीएस का नाम
53.	-वही-	रोपड़
	राजस्थान	
54.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि॰ (आरआरवीयूएनएल)	कोटा
55.	-वही-	सुरतगढ़
	तमिलनाडु	
56.	नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी)	नैवेली-1
57.	-वही-	नैवेली-2
58.	तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टीएनईबी)	तुतीकोरिन
59.	-वही-	मेत्तूर
60.	-वही-	नॉर्थ चेन्नई
61.	-वही-	एन्नौर
	उत्तर प्रदेश	
62.	एनटीपीसी	दादरी
63.	-वही-	रिहन्द
64.	-वही-	सिंगरौली
65.	-वही-	ऊंचाहार
66.	-वही-	टाण्डा
67.	उ॰प्र॰ राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि॰ (यूपीआरवीयूएनएल)	हरदुआगंज
68.	-वही-	ओबरा
69.	-वही-	पनकी
70.	-वही-	अनपारा
71.	-वही-	परीचा
	पश्चिम बंगाल	
72.	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (सीईएससी)	बी॰बी॰जी॰एस॰
73.	-वही-	एस॰ जी॰ एस॰
74.	-वही-	टी॰ जी॰ एस॰
75.	एनटीपीसी	फरक्का

क्रम संख्या	राज्य/यूटिलिटी	टीपीएस का नाम
76.	वेस्ट बंगाल पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि० (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	बाण्डेल
77.	-वही-	संथालडीह
78.	-वही-	कोलाघाट
79.	-वही-	बक्रेश्वर
80.	दुर्गापुर पावर लि० (डीपीएल)	दुर्गापुर
81.	-वही-	मेजिया
82.	दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी)	दुर्गापुर

Fly ash from Suratgarh Super Thermal Power Station

†*307. SHRI MOTILAL VORA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the quantum of fly ash emitted per day accumulated so far from Suratgarh Super Thermal Power Station;

(b) the names of the other Thermal Power Stations which are emitting huge quantity of fly ash;

(c) whether Government have formulated any scheme to make use of such fly ash;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) According to Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam, the quantum of fly ash emitted per day from Suratgarh Super Thermal Power Station in Rajasthan is 4100 Metric Tonne. The quantum of fly ash accumulated at this Power Station upto October, 2002 was 28.366 lakh Metric Tonne.

(b) The names of the other Thermal Power Stations which are emitting huge quantity of fly ash are given in the Statement-I (*See below*).

†Original notice of the question was received in Hindi.

(c) to (e) A Fly Ash Mission was set up in 1994 promote the utilization of fly ash in the country by generating confidence in user agencies regarding feasible modes of utilization of fly ash in the country. The Mission has been playing a useful catalytic role in increasing the utilization of fly ash in the country.

Ministry of Environment & Forests (MOEF) have issued a Gazette Notification dated 14.09.1999 regarding utilization of fly ash. The Notification, *inter-alia*, requires 100% utilization of fly ash for all new power plants within 9 years as well as 100% use of fly ash for all existing power plants within 15 years. The Notification enjoins upon the thermal power plants to draw up the action plan for utilization/disposal of the fly ash.

At present, about 19 Million Tonne of fly ash constituting 22% of the fly ash produced in the country is being utilized. This has increased from 2.739 Million Tonne of fly ash constituting about 6.61% in 1995-96.

Statement-I

List of Thermal Power Stations Emitting Fly Ash

Sl. No.	State/Utility	Name of TPS
	Andhra Pradesh	
1.	Andhra Pradesh Power Generation Co. (APGENCO)	Kothagudem
2.	-do-	Kothagudem V
3.	-do-	Nellor
4.	-do-	Ramagundem B
5.	-do-	Rayalseema
6.	-do-	Vijaywada
7.	National Thermal Power Corporation Ltd. (NTPC)	Ramagundem
	Assam	
8.	Assam State Electricity Board	Bongaigaon
	Bihar	
9.	Bihar State Electricity Board	Barauni
10.	-do-	Muzaffarpur
11.	Tenughat Vidyut Nigam Ltd.	Tenughat

Sl. No.	State/Utility	Name of TPS
12.	NTPC	Kahalgaon
	Chhattisgarh	
13.	Chhattisgarh State Electricity Board	Korba East
14.	-do-	Korba West
15.	NTPC	BALCO
16.	-do-	Korba
	Delhi	
17.	Delhi Vidyut Board	Indraprastha
18.	-do-	Rajghat
19.	NTPC	Badarpur
	Gujarat	
20.	Ahmedabad Electricity Co.	Sabarmati
21.	Gujarat Electricity Board	Wanakbori
22.	-do-	Gandhinagar
23.	-do-	Kutch
24.	-do-	Sikka
25.	-do-	Ukai
26.	Gujarat Industrial Power Corporation Ltd. (GIPCL)	Surat Lignite
	Haryana	
27.	Haryana Power Generation Corporation Ltd.	Faridabad
28.	-do-	Panipat
	Jharkhand	
29.	Damodar Valley Corporation (DVC)	Bokaro 'A'
30.	-do-	Bokaro 'B'
31.	-do-	Chandrapura
32.	Jharkhand State Electricity Board (JSEB)	Patratu
33.	Trombay Power Co.	Jojo Bera
	Karnataka	
34.	Karnataka Power Corporation Ltd. (KPCL)	Raichur
	Madhya Pradesh	
35.	NTPC	Vindhyachal
36.	Madhya Pradesh State Electricity Board (MPSEB)	Satpura
37.	-do-	Amarkantak

Sl. No.	State/Utility	Name of TPS
38.	Madhya Pradesh State Electricity Board (MPSEB)	Sanjay Gandhi
	Maharashtra	
39.	Bombay Suburban Electricity Supply Ltd. (BSES)	Dahanu
40.	Maharashtra State Electricity Board (MSEB)	Bhasaval
41.	-do-	Chandrapur
42.	-do-	Khaperkheda
43.	-do-	Koradi
44.	-do-	Nashik
45.	-do-	Paras
46.	-do-	Parli
47.	Trombay Power Co.	Trombay
	Orissa	
48.	Orissa Power Generation Co. Ltd. (OPGCL)	Ib
49.	NTPC	Talcher Kaniha
50.	-do-	Talcher Thermal
	Punjab	
51.	Punjab State Electricity Board (PSEB)	Bhatinda
52.	-do-	Lehra Mohabat
53.	-do-	Ropar
	Rajasthan	
54.	Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (RRVUNL)	Kota
55.	-do-	Suratgarh
	Tamil Nadu	
56.	Neyveli Lignite Corporation (NLC)	Neyveli I
57.	-do-	Neyveli II
58.	Tamil Nadu Electricity Board (TNEB)	Tuticorin
59.	-do-	Mettur
60.	-do-	North Chennai
61.	-do-	Ennore
	Uttar Pradesh	
62.	NTPC	Dadri
63.	-do-	Rihand
64.	-do-	Singarauli

Sl. No.	State/Utility	Name of TPS
65.	NTPC	Unchahar
66.	-do-	Tanda
67.	UP Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (UPRVUNL)	Harduaganj
68.	-do-	Obra
69.	-do-	Panki
70.	-do-	Anpara
71.	-do-	Parichha
	West Bengal	
72.	Calcutta Electricity Supply Co. (CESC)	BB.G.S.
73.	-do-	S.G.S.
74.	-do-	T.G.S.
75.	NTPC	Farakka
76.	West Bengal Power Development Corporation Ltd. (WBPDCL)	Bandel
77.	-do-	Santaldih
78.	-do-	Kolaghat
79.	-do-	Bakreshwar
80.	Durgapur Power Ltd. (DPL)	Durgapur
81.	-do-	Mejia
82.	Damodar Valley Corporation (DVC)	Durgapur

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में प्रतिदिन 4100 मीट्रिक टन राख जमा होती है और अब तक जो राख जमा हुई है, वह 28.366 लाख टन जमा हुई है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि "A Fly Ash Mission was set up in 1994." ताकि फ्लाई ऐश का सही ढंग से उपयोग हो जाए। एक पॉवर स्टेशन पर जब 28.366 लाख मीट्रिक टन राख इकट्ठी हुई है तो इसी प्रकार 17 राज्यों में जो राख इकट्ठी हुई, उसका क्या उपयोग अब तक हो रहा है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो फ्लाई ऐश के बारे में चिंता जताई है, वह सही है। यह जो प्रोजैक्ट है, यह राज्य का प्रोजैक्ट है। जो नोटीफिकेशन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है, उसके तहत सारे प्रोजैक्ट जो चल रहे हैं, उन्हें समय सीमा के अंदर ऐश का निराकरण करने का, यूटीलाइज़ेशन का आदेश दिया गया है। यह जो सूरतगढ़ ताप बिजलीघर.....

श्री सभापति: उन्होंने जानना चाहा है कि उस आदेश के अनुसार कितनी फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: इसके अनुसार प्रयास निरंतर चल रहे हैं। अब तक उसका जो यूटीलाइजेशन है, वह 22 प्रतिशत ही है, यह वास्तविकता है।

श्री मोती लाल वोरा: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मिनिस्टरी ऑफ इनवॉयरमेंट और फॉरिस्ट ने 1999 में एक आदेश जारी किया और इसमें कहा गया कि जितने नए पॉवर प्लांट बनेंगे, उसमें सौ प्रतिशत इसका उपयोग होगा। जो मिशन 1994 में सैट अप हुआ था, उसमें यह था कि जो इसका उपयोग करने वाली बहुत सी एजेंसिज़ हैं, उनमें इसका प्रचार होगा। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मिशन 1994 में आपने स्थापित किया था, उसके अनुसार लोगों ने इसका कहां तक उपयोग किया और 1999 के बाद जितने पॉवर स्टेशन बने, उसमें सौ प्रतिशत राख का उपयोग होने की बात आपने कही है, इसमें कहां तक हमें सफलता मिली है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: महोदय, पर्यावरण मंत्रालय ने जो 1999 में नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके तहत जो नये प्रोजैक्ट हैं, उन्हें इस फ्लाई ऐश के यूटीलाइजेशन के लिए 9 साल का समय दिया गया है और जो पुराने प्रोजैक्ट हैं, उन्हें 15 साल का समय दिया गया है। जो सदस्य की चिंता है, वह बिल्कुल सही है। इस फ्लाई ऐश को हम अलग अलग तरीके से उपयोग में लाते हैं। जैसे कि सड़क के निर्माण में लाते हैं, सीमेंट बनाने में उसे हम इस्तेमाल करते हैं। जो वेस्ट लैंड है, उसको उपजाऊ करने के लिए भी हम फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करते हैं। ईंटें बनाते हैं, प्रीमिक्स ब्लॉक्स बनाते हैं लेकिन इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, सभापति जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं माननीय सदस्य को और सदन को इससे अवगत कराना चाहूंगा कि जहां पर भी हमारे ये प्रोजेक्ट्स है, जहां वे शहरों के नज़दीक हैं, वहां पर यदि ईंटें या ब्लॉक्स बनाने के कारखाने हैं, तो वे वहां पर चल सकते हैं, इसलिए कि वहां बनने वाली ईंटों का शहरों तक जो ट्रांसपोर्टेशन है, वह कम लागत में होता है और जो हमारे दूर-दराज के क्षेत्रों के प्रोजेक्ट्स हैं, यदि वहां पर इस प्रकार से चीजें बनाई जाती हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, इसलिए यह समस्या अभी तक है।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, इस राख के इकट्ठा होने के कारण आसपास के लोगों को जो कठिनाई हो रही है, आपने कहा कि 28.366 लाख मिट्रिक टन... जब हवा चलती है तो आसपास के गांवों के रहने वालों का जीवन दूभर हो जाता है, इतनी राख यहां इकट्ठा हो गई है। यह तो आपके केवल एक पावर स्टेशन की बात है। इस पावर स्टेशन में जितनी राख इकट्ठा हो रही है, अगर इसका समयावधि में उपयोग नहीं हुआ तो वहां के आसपास के गांवों के लोगों का जीना दूभर हो सकता है। इसके लिए आपने क्या कोई कदम उठाया है?

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी हो, इसकी आप कोई विशेष व्यवस्था करें। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह बात बिलकुल सही है।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, आपने ही जवाब दे दिया है। माननीय मंत्री महोदय, क्या राज्य सरकारों को इसके लिए आप आवश्यक निर्देश देंगे?

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, मंत्री महोदय ने कहा कि 9 वर्ष का समय दिया है नए प्लांट्स को और 15 वर्ष का दिया है पुराने प्लांट्स को। वह तो आपने दे दिया पर क्या आप 9 वर्ष बाद चेतेंगे? आपने कोई मॉनीटरिंग सिस्टम बनाया है कि एक वर्ष में क्या किया या दो वर्ष में क्या किया? या पुराने प्लांट में कुछ भी काम हुआ है? या केवल हम 9 वर्ष बाद बोलेंगे कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, अब क्या करें हम लोग? फिर एक प्लान बनाएंगे 20 वर्ष बाद का।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, 9 वर्ष की समय सीमा दी गई है लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी सूचना दी गई है कि हर वर्ष कम से कम 10 प्रतिशत अधिक जो फ्लाई ऐश है, उसका युटीलाइज़ेशन होना चाहिए, इस प्रकार की सूचना दी गई है और उस पर अमल भी होने लगा है।

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, मैंने कोल फायर्ड बॉइलर में जिंदगी के 25 साल बिताए हैं। 25 साल मैंने बिताए हैं फॉर ऑपरेटिंग कोल....

श्री सभापति: फिर भी आपका स्वास्थ्य ठीक है?

श्री दीपांकर मुखर्जी: अभी मंत्री जी जो कह रहे हैं, समस्याएं सबको मालूम हैं और 25 साल से मैं सुन रहा हूं, समस्याएं सबको मालूम हैं और इंटेंशन्स भी सबको मालूम हैं। इंटेंशन्स 100 परसेंट। जो आपने कहा है, यह केवल ब्रिक्स के लिए ही नहीं, यह सीमेंट में भी इस्तेमाल होता है। आंध्र प्रदेश में रामागुंडम में मैंने देखा, एक पावर प्लांट का पूरा फ्लाई ऐश सीमेंट फैक्ट्री में जाता है। प्रॉब्लम जो वे कह रहे हैं कि 15 वर्ष का जो इंटेंशन है, वह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायर्नमेंट का है लेकिन इंप्लिमेंटेशन का काम आपका है। यह जो 82 पावर प्लांट्स की लिस्ट आपने दी है, मै आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह प्रयास करेंगे? ... प्रयास था लेकिन कामयाबी के लिए, इन 82 प्लांट्स का प्लांटवाइज़, जो आपका पंद्रह साल में कंप्लीट करने का इरादा है, उसको फुलफिल करने के लिए इन 82 पावर प्लांट्स को आप मॉनीटर करेंगे? अभी क्या चित्र है, वह क्या आप संसद के सामने रखेंगे कि 15 साल में कंप्लीट करने की स्टेज में इन 82 पावर प्लांट्स की पोज़िशन आज क्या है? यह संसद के सामने रखिए so that we can monitor it. It is a national problem. Let us look at it from the national level. Will you do that? What are the levels of implementation of this programme of fly ash

utilisation in all these 82 power stations? Will you come back to the House with this information?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: जो 82 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से अधिकतम 75 प्रतिशत राज्यों के हैं और 25 प्रतिशत भारत सरकार के उपक्रम एन॰टी॰पी॰सी॰ के हैं।

श्री दीपाकंर मुखर्जी: आप ऐसे राज्यों के ऊपर मत छोड़िए।

श्री सभापति: हो गया, हो गया।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: मैं जवाब दे रहा हूं। इसलिए निरंतर राज्यों से मंत्रालय की ओर से सम्पर्क हो रहा है कि जो पर्यावरण से हमें नोटिफिकेशन के द्वारा समय सीमा दी गई है, उसके मुताबिक प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ऐश का युटिलाइज़ेशन हो और इस पर हमारा ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: हो रहा है या नहीं?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: हो रहा है।

श्री दीपाकंर मुखर्जी: नहीं...नहीं...एकदम गलत है। 10 परसेंट नहीं हो रहा है। You please bring the information in regard to the level of implementation in each plant.

श्री सभापति: मंत्री जी, आप एक काम कीजिए कि जहां-जहां भी फ्लाई ऐश का मामला है, उसका कितना-कितना उपयोग हुआ है, उसकी पूरी जानकारी माननीय सदस्य को भेज दीजिए।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सर, भेज दूंगा।

Presence of media during anti-terrorist operations

*308. SHRI SANTOSH BAGRODIA:†
DR. KARAN SINGH:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the media is allowed to have direct access at the time of anti-terrorist operations;

(b) if so, upto what level of protocol or secrecy;

(c) whether it is a fact that many intricate details of anti-terrorist operations are likely to be leaked out through the media; and

(d) if so, the steps Government propose to take care of the risks involved in such permission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHENNAMANENI VIDYA SAGAR RAO): (a) and (b) The media is free to cover such incidents. However, depending upon the nature of the

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Santosh Bagrodia.